

16/3
GT-1426/22

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3
SUB-SECTION (1) AS GSR NO. 1581 DATED 23.10.1971.

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF STEEL AND MINES
(ISPAAT AUR KHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF MINES
(KHAN VIBHAG)

New Delhi, the 9th Sept., 1971

NOTIFICATION

GSR. 1581

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Fifth Amendment) Rules, 1971.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Office Gazette.
2. In Schedule I of the Mineral Concession Rules, 1960, -
 - (i) in Form 'J', -
for the words, figures and brackets "see rule 22(2)", the words, figures and brackets "See rule 28(1)" shall be substituted;
 - (ii) in Form 'K' in Part VIII, -
in the third paragraph of clause 3, for the

...../-

words "six calendar months", the words "twelve calendar months" shall be substituted.

F.No.1(19)/71-MVI

Sd/- A. Sethumadhavan
Under Secretary to the Govt. of India.

To.

The General Manager,
Government of India Press,
Minto Road,
New Delhi. (with Hindi translation)

224.128

16/3

(भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में सा० का० नि० संख्या - 1581 - - - - - तारीख - 23-10-71 - - के रूप में प्रकाशित)

- - -

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
(खान विभाग)

- - -

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1971

अधिसूचना

- - - - -

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खनिज स्थायत नियम, 1960 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1- (1) यह नियम खनिज स्थायत (पंचम संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।
(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जायेंगे ।
- 2- खनिज स्थायत नियम, 1960, की अनुसूची I में -
 - (1) प्रारूप 'अ' में, -
"नियम 22(2) देखिए " शब्दों, अंको और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 28(1) देखिए " ^{शब्द,} अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;
 - (11) प्रारूप 'ट' भाग VIII में -
खण्ड 3 के तृतीय पैरा में, "छह क्लेडर मास" शब्दों के स्थान पर "बारह क्लेडर मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(फा० सं० 1(19)/71-खान 6)

(२० सेतुमाधवन)
अवर सचिव, भारत सरकार

महाप्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।